**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3287**
**दिनांक 12 मार्च, 2026**

**घरेलू रसोई गैस राजसहायता और मूल्य निर्धारण**

**†3287. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का उपभोक्ताओं को घरेलू रसोई गैस की लंबित राजसहायता जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का घरेलू रसोई गैस के लिए राजसहायता बहाल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) रसोई गैस राजसहायता का वितरण न करने के कारण सरकार द्वारा की गई कुल बचत कितनी है;
(घ) वर्ष 2014 के दौरान रसोई गैस की कीमत का ब्यौरा क्या है और अब तक रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का रसोई गैस की कीमत कम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) क्या सरकार का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस राजसहायता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सुरेश गोपी)**

(क) से (च): पात्र एलपीजी उपभोक्ताओं को डीबीटी राजसहायता का भुगतान तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा उनकी अपने निधि से किया जाता है। राजसहायता जारी करने के पश्चात, ओएमसी पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के ज़रिए प्रतिपूर्ति के लिए सरकार को बिल प्रस्तुत करती हैं और सरकार द्वारा ओएमसी को उसकी प्रतिपूर्ति कि जाती है।

दिनांक 1 अप्रैल 2014 को घरेलू एलपीजी (गैर-राजसहायता) का खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) 980.50 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए और राजसहायता वाली घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए 414.00 रुपये था। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर का आरएसपी वर्तमान में 913 रुपये है। दिनांक 09.03.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएमयूवाई उपभोक्ताओ को 300 रुपये/सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार सभी योग्य पीएमयूवाई लाभार्थियों को (दिल्ली में) 14.2 किलोग्राम एलपीजी का सिलेंडर 613 रुपये प्रति सिलेंडर के प्रभावी मूल्य पर दे रही है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में ओएमसी को 22,000 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया दिया है और वित्त वर्ष 2025-26 में 30,000 करोड़ रुपये के अन्य मुआवज़े को मंज़ूरी दी है।

*****